

जिलाधिकारी शिविर कार्यालय, कानपुर नगर।

संख्या 3600 /ओ0एस0डी0-जि0अ0/2020

दिनांक 3 मई, 2020

आदेश

मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, शासन के पत्र संख्या-348/2020-सीएक्स-3 दिनांक 16.04.2020 के द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र/आदेश संख्या-40-2/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 24.04.2020 के क्रम में शासन स्तर से लिये गये निर्णयानुसार हाटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकाने विशेष रूप से निर्माण सामग्री यथा ईट, सीमेण्ट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर आदि तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग व सैनेटाइजेशन के प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

अतः तदनुपालन में जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत हाटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकाने विशेष रूप से निर्माण सामग्री यथा ईट, सीमेण्ट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर आदि तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि सोशल डिस्टेंसिंग व सैनेटाइजेशन के प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)  
जिला मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर अवलोकनार्थ।
02. डी0आई0जी0/एस0एस0पी0, कानपुर नगर।
03. नगर आयुक्त, कानपुर नगर।
04. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।
05. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर।
06. समस्त अपर जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
07. सिटी मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उपजिलाधिकारी, कानपुर नगर।
08. नोडल अधिकारी, कन्ट्रोल रूम, मोतीझील, कानपुर नगर।
09. उपनिदेशक, सूचना एवं प्रसार अधिकारी, कानपुर नगर।
10. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 कानपुर नगर।



जिला मजिस्ट्रेट,  
कानपुर नगर।

प्रेषक :

राजेन्द्र कुमार तिवारी,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज।
- 3- पुलिस, आयुक्त, लखनऊ/नोएडा।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 01 मई, 2020

विषय: कोविड-19 महामारी के नियंत्रण हेतु दिनांक 03-05-2020 तक लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के क्रम में निर्गत दिशा-निर्देश दिनांक 24 अप्रैल, 2020 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-264/2020/सीएक्स-3 दिनांक 16 अप्रैल, 2020 के क्रम में सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र/आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए), दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों में स्थित दुकानें विशेष रूप से निर्माण सामग्री यथा ईंट, सीमेण्ट, मौरंग, बालू, सरिया, हार्डवेयर आदि तथा मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग व सैनेटाइजेशन के प्रावधानों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(राजेन्द्र कुमार तिवारी)  
मुख्य सचिव।

संख्या- 348/2020-सीएक्स-3 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- (4) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (6) अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,



( अवनीश कुमार अवस्थी )

अपर मुख्य सचिव।